:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर(म.प्र.) ::

Office of the Collector & Distt. Magistrate Distt. Indore (M.P.)

क्रमांक / 743 /री.ए.डी.एम./ 2025 इन्दौर, दिनांक 30/07/2025

:: आदेश ::

(भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163)

(बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश)

समय-समय पर समाचार पत्रों तथा विगत् वर्षो में इन्दौर जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रहीं निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जावें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इस संबंध में दिनांक 29/07/2025 को इन्दौर में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ली गई बैठक में इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। वाहन चालकों द्वारा यदि हेलमेट लगाया जाता है तो इससे निश्चित् रूप से इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी आ सकती है। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है साथ ही म0प्र0 मोटर यान मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट(सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगा । बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क में दुर्घटना एवं असामायिक मृत्यु होने का खतरा बना रहता है । ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाकर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु खतरे को कम किया जा सकें ।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस बात के पर्याप्त आधार है कि बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं जीवन क्षति संभव है। स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गो पर सफर किया जाता है तो किसी भी समय उनकी जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाए रहती है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।.

District Magistrate
District Indore (M.P.)

अतः इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक होने से मैं **आशीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163(1)(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

यह कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जावेंगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा–163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है । कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163(5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा । यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2025 से लागू होगा तथा दिनांक 29/09/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा । इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(आशीष सिंह)
कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate
District Indore (M.P.)

पृ0क्रमांक / 744 /री.ए.डी.एम./2025

इन्दौर, दिनांक 30/07/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह सी विभाग भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
3. पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर।
4. पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक इन्दौर (देहात)
5. अति0 पुलिस आयुक्त, क्राईम-मुख्यालय/कानून व्यवस्था, इन्दौर।
6. पुलिस उपायुक्त, यातायात/मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।
7. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला इन्दौर।
8. अपर कलेक्टर /अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (समस्त) इन्दौर ।
9. मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि0/मे0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि0/मे0 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि0/मे0 नायरा एनजी लि0/में0 रिलायन्स पेट्रोलियम, इन्दौर।
10. अति0 पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/जोन-1,2,3,4/आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला इन्दौर।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला इन्दौर।
12. जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संयुक्त संचालक, सूचना एंव प्रकाशन विभाग इन्दौर की ओर समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
14. अनुविभागीय दण्डाधिकारी ....जिला इन्दौर
15. सहायक पुलिस आयुक्त, ...नगरीच पुलिस, इन्दौर।
16. एस.डी.ओ.पी. पुलिस डॅा अम्बेडकर नगर (महू), सांवेर , देपालपुर
17. थाना प्रभारी थाना ....की ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
18. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी, कलेक्टोरेट इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
19. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, नगरीय पुलिस, इन्दौर।
20. सर्व संबंधित ....

कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

District Magistrate
District Indore (M.P.)